संलग्न - IV

स्व प्रेरणा से प्रकटीकरण

28th May, 2015 को अद्यतन किया गया

मद संख्या 8(A) (4)

फा .स 2-4/2013 - यूनेस्को

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

विषय: यूनेस्कों से संबंधित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी सलाहकार निकाय (एबीआईसीएचयू) के संबंध में।

मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने संबंधी प्रक्रियाओं/मानदंडों समेत यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कनवेंशन 2003 तथा विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण एवं प्रोन्नयन, 2005 से उद्भूत कार्यकलापों में भारत की भागीदारी के विशेष संदर्भों में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी मामले विगत कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहे हैं और यह निर्णय लिया गया है कि इन विषयों को मूर्त रूप देने के लिए सहायक कार्यतंत्र समेत विशेषज्ञों/कार्मिकों को शामिल करते हुए यूनेस्को से संबंधित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी सलाहकार निकाय (एबीआईसीएचयू) का गठन किया जाए।

2. तदनुसार सक्षम प्राधिकरण ने निम्नलिखित सलाहकार निकाय का गठन करने का निर्णय लिया :

अध्यक्ष

1. सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

पदेन सदस्य

2. संयुक्त सचिव, प्रभारी, यूनेस्को, संस्कृति मंत्रालय
3. सचिव, संगीत नाटक अकादमी

नामित सदस्य

4. डॉ .ऋतु सेठी, क्राफ्ट रिवाइवल, एंसाइक्लोपीडिया
5. डॉ .शुभा चौधरी, एसोसिएट डॉयरेक्टर जनरल अकेडमीज़, नृजातीय संग्रहालय विज्ञान अभिलेखागार एवं अनुसंधान केंद्र, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ (एआईआईएस)
6. श्री सदानंद मेनन, सांस्कृतिक लेखक एवं आलोचक (फिल्म नृत्य आदि)

7. सुश्री संथिला टी यंगेर, भारतीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास (इंटेक)
8. डॉ .कपिल तिवारी, भूतपूर्व निदेशक, आदिवासी एवं लोककला अकादमी
9. निदेशक, (आईसीसी) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
10. निदेशक, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र
11. निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
12. सचिव साहित्य अकादमी
13. सचिव ललित कला अकादमी

संबद्ध सदस्य

14. श्री बंसी कोल

सचिवालय सदस्य

15. परामर्शी निकाय के वरिष्ठ परामर्शक एवं सदस्य सचिव (सरकार द्वारा खुले आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा)।
16. उप सचिव (नाट्य) संगीत नाटक अकादमी

3. सलाहकार समिति ऐसे विशेषज्ञों/परामर्शकों को शामिल करते हुए कार्य समूहों का गठन कर सकती है जिन्होंने 'सफल' नामांकन डोज़िअर तैयार किए हों और/अथवा जिन्हें यूनेस्को के कार्यकरण आदि का गहन अनुभव हो। ऐसे किसी समूह के लिए कोई प्रख्यात आईसीएच विशेषज्ञ इसका अध्यक्ष होगा और परामर्शी निकाय का वरिष्ठ परामर्शक इस समूह का समन्वयक होगा।

4. इस परामर्शी निकाय के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

क) मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए इसके वैश्विक महत्व तथा प्रत्येक नामांकन डोज़िअर की गुणवत्ता/संपूर्णता दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत से उपयुक्त नामांकन की सिफारिश/जांच करना और इसके साथ-साथ नामांकन के लिए डोज़ियर तैयार और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में विशेषज्ञता सहायता प्रदान करना।

ख) प्रत्येक मामले में नामांकन डोज़ियर तैयार करने के लिए उन व्यक्तियों/परामर्शकों की संभावित सूची का सुझाव देना जिनकी सेवाएं इस कार्य के लिए ली जा सकती हैं।

ग) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षोपाय हेतु अंतर सरकारी समिति (आईजीसीआईसीएच) से संबंधित प्रचालनात्मक निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना ताकि भारतीय परिप्रेक्ष्य से इनको सुदृढ़ बनाया जा सके।

घ)भारतीय परिप्रेक्ष्य से इन्हें बेतहर बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु इनके अंतर्गत आने वाले प्रासंगिक कंवेशनों और प्रक्रियाओं तथा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना।

ड.) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय सूची/रजिस्टर को तैयार करने के लिए समूचित नमूनों का सुझाव देना।

च) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर/सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए क्षमता विकास उपायों का सुझाव देना।

छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) संबंधी राष्ट्रीय सूची/रजिस्टर में सूचीबद्ध करने के लिए भारत में आईसीएच के विविध प्रकारों की समीक्षा करना और प्राथमिकता निर्धारित करना।

ज) तत्काल सुरक्षा उपाय की आवश्यकता के मामलों में सूचीबद्ध आईसीएच घटकों की पहचान करना तथा इन्हें संरक्षित करने की कार्य योजना का सुझाव प्रदान करना।

झ) प्रतिनिधि सूची में भारत के नामांकनों को बढ़ाने के लिए कार्य पद्धतियों का सुझाव देने के विषय में उपर्युक्त यूनेस्को प्रतिनिधि सूची के लिए भारत से लंबित नामांकनों की समीक्षा/पुन : प्राथमिकता निर्धारण करना।

ञ) प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय घटकों के संबंध में इनके सतत संरक्षण/परिरक्षण/संवर्धन के लिए भारतीय दायित्वों पर विचार करने हेतु विशेष समीक्षाएं करना।
ट) सरकार अथवा इसके सचिवालय द्वारा निकाय के समक्ष प्रस्तुत कोई अन्य प्रस्ताव।

5. परामर्शी निकाय अथवा कार्य समूहों के कार्यकरण का समन्वय निकाय के वरिष्ठ परामर्शक द्वारा किया जाएगा जिसकी नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी और जिसका आरंभिक कार्यकाल दो वर्षों का होगा। वरिष्ठ परामर्शक की नियुक्ति उन शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन होगी जिन्हें सरकार द्वारा पृथक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

6. परामर्शक निकाय का कार्यकाल प्रारंभिक रूप से तीन वर्षों की अवधि का होगा और यह प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगा (शुरूआती अवधि में अधिक बार) परामर्शक निकाय और समूहों का मुख्यालय दिल्ली में होगा। गैर सरकारी सदस्य सरकारी मानदंडों के अनुसार टीए/डीए एवं बैठक शुल्क के हकदार होंगे। ऐसी सभी मामलों पर हुए संपूर्ण खर्च का वहन संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाएगा जो परामर्शक निकाय को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करेगी।